महत्वपूर्ण

संख्या- 01/2026/38/90-सं-1-2026-117सं/1998

प्रेषक,

जे०पी० सिंह-II,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संसदीय कार्य अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 04 फरवरी, 2026

विषयः विधान मण्डल सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के पूर्ण उत्तर समय से उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-2506/सत्रह-सं-1-98-117सं/98, दिनांक 09 सितम्बर, 1998 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। उक्त शासनादेश द्वारा यह अपेक्षा की गई है कि विधान मण्डल सत्र के दौरान विधान सभा/विधान परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों/विभिन्न नियमों के अन्तर्गत उठाये गये प्रकरणों इत्यादि पर जो जानकारी उपलब्ध करायी जाए उसकी तथ्यपरकता एवं गुणवत्ता पूर्णतः संशय रहित होनी चाहिए और इस सम्बन्ध में सूचना सम्बन्धित जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से ही शासन को उपलब्ध करायी जाय।

2- विगत सत्रों में यह अनुभव किया गया है कि बहुधा उक्त आदेशों का सम्यक् रूप से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। विधान मण्डल का वर्ष 2026 का प्रथम सत्र दिनांक 09 फरवरी, 2026 से आहूत किया गया है। अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया इस सम्बन्ध में उपरिलिखित शासनादेश दिनांक 09 सितम्बर, 1998 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

जे०पी० सिंह-II
प्रमुख सचिव।

संख्या-01/2026/38(1)/90-सं-1-2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्य मंत्री जी।
2. निजी सचिव, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को माननीय मंत्री महोदय के सूचनार्थ।
3. निजी सचिव, माननीय नेता सदन विधान परिषद् को माननीय नेता सदन के सूचनार्थ।
4. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

गौरव कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सं0 2506 /सत्रह-सं-1-98-117सं/98

प्रेषक,

मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1-समस्त मण्डलायुक्त,उत्तर प्रदेश ।
2-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश

संसदीय कार्य अनुभाग-1 लखनऊ :दिनांक 9 सितम्बर, 1998

विषयः विधान मण्डल सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के पूर्ण उत्तर समय से उपलब्ध कराया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधान मण्डल के सदनों में विभिन्न नियमों के अधीन उठाए गए प्रश्नों के माध्यम से जनता के दुख-दर्द को शासन तक पहुँचाना तथा उसे दूर करने के लिए आवश्यक कार्यवाही का सुझाव देना संसदीय प्रणाली में विधायकों का महत्वपूर्ण अधिकार है । प्रश्नों के माध्यम से एक ओर सरकार को यह जानकारी मिलती है कि जनसाधारण की शिकायतें, समस्यायें और अपेक्षाएं क्या हैं और दूसरी ओर शासन को भी यह अवसर प्राप्त होता है कि वह लोगों को अपने क्रियाकलापों, कार्यक्रमों और नीतियों को समस्याओं आदि के परिप्रेक्ष्य में सुस्पष्ट कर सके ।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि विधान सभा/विधान परिषद के मा0 सदस्यों द्वारा पूछे गये विभिन्न प्रकार के प्रश्नों तथा विभिन्न नियमों के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं के सम्बन्ध में जो जानकारी उपलब्ध कराई जाए उसकी तथ्यपरकता एवं गुणवत्ता पूर्णतः संशयरहित होनी चाहिए । विधान सभा के विगत सत्र में शासन के संज्ञान में आया है कि माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर के लिए संबोधित जिलाधिकारियों द्वारा जानकारी समय से उपलब्ध नहीं करायी गयी जिसके कारण अनेक प्रश्नों के अन्तरिम उत्तर सदन के समक्ष प्रस्तुत करने पड़े । कतिपय प्रश्नों के उत्तर सम्पूर्ण सूचनाओं से युक्त नहीं थे । इसके अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर जिलाधिकारियों द्वारा अपने हस्ताक्षर से न भेज कर कनिष्ठ अधिकारियों के हस्ताक्षर से प्रेषित किये गये ।

3- उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि विधान सभा/विधान परिषद में पूछे गये विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के उत्तर तथा मा0 सदस्यों द्वारा विभिन्न नियमों के

-- 2/-

अन्तर्गत दी गई सूचनाओं के उत्तर के लिए पूरी जानकारी सम्यक परीक्षण के उपरान्त समय से जिलाधिकारियों के हस्ताक्षर से ही शासन को उपलब्ध करायी जाय ।

भवदीय,

(योगेन्द्र नारायण)
मुख्य सचिव

संख्या 2506 (1)/सत्रह-सं-1-98 तद् दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

(एन0के0नारंग)
प्रमुख सचिव